नेशनल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड

बनाम

चला उपेन्द्र राव व अन्य

21 सितंबर, 2004

[अरिजीत पासायत और सी. के. ठक्कर, जस्टिस]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

धारा 149 (2)- दावा याचिका का विरोध- बीमाकर्ता को - बीमाकर्ता को प्राप्त वैधानिक बचाव- अभिनिर्धारितः केवल धारा 149 (2) के तहत उपलब्ध बचाव तक ही सीमित है।

धारा 149 (2)(बी)(आई)(ए)-वाहन चलाना-बिना अनुमति के चलाना-किराए या ईनाम के लिए-उच्च न्यायालय का विचार था कि चूंकि कोई अनुमति नहीं थी इसलिए उसकी किसी भी शर्त के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता की शुद्धता-निर्धारितः उच्च न्यायालय का विचार स्पष्ट रूप से गलत है-बिना परमिट के वाहन चलाना एक उल्लंघन है-बिना परमिट के वाहन चलाने के लिए किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की तुलना में बेहतर पायदान पर नहीं रखा जा सकता है जिसके पास परमिट है लेकिन उसने इसकी किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है-इसलिए, धारा 149 (2) के तहत बीमाकर्ता के पास परमिट के अभाव के कारण दावा याचिका का विरोध करने का बचाव है।

धारा 149 (2), 168,169 एवं 174-दावा याचिका-बीमाकर्ता ने धारा 149 (2) के तहत अपना वैधानिक बचाव स्थापित किया-हालांकि, उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति अवार्ड के लिए उत्तरदायी ठहराया-की शुद्धता-अभिनिर्धाि‍रितः उच्च न्यायालय द्वारा बीमाकर्ता को उत्तरदायी ठहराया जाना उचित नहीं-बीमाकर्ता के पास बीमित से

भुगतान की गई राशि की वसूली करने का विकल्प है-वसूली और निष्पादन का तरीका-समझाया गया।

तीन लोग एक ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे थे, जो कि दुर्घटना का शिकार हो गया। दो लोगों की जान चली गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों मृतक व्यक्तियों के विधिक प्रतिनिधियों ने दावा याचिका दायर की जबकि घायल ने पृथक याचिका पेश कर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-166 के तहत मुआवजे का दावा दायर किया। प्रशनगत ऑटो रिक्शा बीमित का था। बीमाकर्ता ने दावे का विरोध इस आधार पर किया कि बीमित व्यक्ति ने वाहन चलाने के लिए परमिट प्राप्त नहीं किया था एवं इसलिए बीमा पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता का कोई दायित्व नहीं था। मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने दलील को स्वीकार किया। हालाँकि, यह अभिनिर्धा िरित किया कि बीमाकर्ता मृत्यु के मामले में तय एक निश्चित धन राशि मुआवजे के तौर पर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है, जबकि घायल के दावे के मामले में एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में अभिनिर्धारित किया कि बीमाकर्ता अवार्ड की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए अपीलें की जाती हैं।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1. बीमाकर्ता के लिए दावे का विरोध करने के लिए जो वैधानिक बचाव उपलब्ध हैं, वे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 149 (2) में दिए गए बचाव तक ही सीमित हैं। [595 - एच]

न्यू इंडिया एश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आशा रानी, [2003] 2 एस. सी. सी. 223 एवं नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम निकोलेटा रोहतगी, [2002] 7 एस. सी. सी. 456, पर भरोसा किया गया।

2. उच्च न्यायालय का यह मत था कि चूंकि कोई परमिट नहीं था, इसलिए उसकी किसी भी शर्त के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। लिया गया मत स्पष्ट रूप से गलत है। बिना परमिट के वाहन चलाने के लिए किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की तुलना में बेहतर पायदान पर नहीं रखा जा सकता है जिसके पास परमिट है, लेकिन उसने इसकी किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है। बिना परमिट के वाहन चलाना एक उल्लंघन है। इसलिए, अधिनियम की धारा 149 (2) के तहत इस पहलू पर बीमाकर्ता के लिए एक बचाव उपलब्ध है। इस रुख की स्वीकार्यता निर्णय का विषय है। बीमाकर्ता के दायित्व के संबंध में पॉलिसी के चालू होने के प्रश्न की कोई प्रासंगिकता नहीं थी। इसलिए, बीमाकर्ता को उत्तरदायी ठहराने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था। [596 - ए, बी]

3. अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ता के लिए यह उचित होगा कि वे अवार्ड को संतुष्ट करे, हालांकि कानून के तहत उनका कोई दायित्व नहीं है। कुछ मामलों में बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति से राशि की वसूली करने का विकल्प और स्वतंत्रता दी गई है। बीमाकर्ता को भुगतान की गई राशि की मालिक से वसूली के उद्देश्य से बीमाकर्ता को दावा दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू कर सकता है जैसे कि बीमाकर्ता और मालिक के बीच का विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारण की विषयवस्तु हो और इस मुद्दे का निर्णय मालिक के खिलाफ और बीमाकर्ता के पक्ष में किया गया है। दावेदारों को राशि जारी करने से पहले, उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक पूरी राशि के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा, जिसका बीमाकर्ता को दावेदारों को भुगतान करना आवश्यक है। प्रतिभूति के भाग के रूप में उल्लंघन करने वाले वाहन को कुर्क किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर निष्पादन न्यायालय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की सहायता लेगा। निष्पादन न्यायालय जिस तरीके से वाहन मालिक बीमाकर्ता को

भुगतान करेगा, उसके बारे में विधि अनुसार उचित आदेश पारित करेगा। यदि इसमें कोई चूक होती है तो निष्पादक न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों द्वारा या अन्य संपत्ति से अथवा वाहन मालिक अथार्त बीमित व्यक्ति की किन्हीं अन्य संपत्तियों के निपटान द्वारा वसूली का निर्देश दे सकेगा। हस्तगत मामले में शामिल मात्रा पर विचार करते हुए यह बीमाकर्ता के विवेकाधिकार छोड़ा जाता है कि वह निर्धारित करे कि बीमित व्यक्ति से राशि की वसूली के लिए कदम उठाएगा या नहीं। [596 - सी-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2004 की सिविल अपील सं. 6178

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के ए. ए. ओ. सं. 1646/1997 में निर्णय व आदेश दिनांकित 26.8.2002 से

साथ में

सी. ए. सं. 6179/2004

अपीलार्थी के लिए जाॅय बसु, मधुरेंद्र कुमार और बी. के. सतीजा।

न्यायालय का निर्णय इनकी ओर से दिया गया

अरिजीत पासायत, जस्टिसः

अनुमति मंजूर।

नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड (इसके बाद 'बीमाकर्ता' के रूप में संदर्भित) द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले की वैधता पर सवाल उठाया गया है जिसमें बीमाकर्ता को मुआवजे के अवार्ड की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।

संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं किः

तीन लोग एक ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे थे जो दिनांक 9.5.1992 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दो लोगों की जान चली गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों मृतक व्यक्तियों के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दावा याचिकाएं दायर की गई थीं, जबकि घायल व्यक्ति ने पृथक से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत मुआवजे हेतु याचिका दायर की। प्रश्नगत ऑटो रिक्शा चल्ला अतच्छया का था। (इसके बाद 'बीमाकृत' के रूप में संदर्भित)। बीमाकर्ता ने इस आधार पर दावे का विरोध किया कि बीमित ने वाहन चलाने की अनुमति प्राप्त नहीं की थी और इसलिए बीमा पॉलिसी के संदर्भ में बीमाकर्ता का कोई दायित्व नहीं था।

मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण कृष्णा, विजयवाड़ा (संक्षिप्त में 'न्यायाधिकरण') ने दलील स्वीकार कर ली। हालाँकि, अभिनिर्धारित किया कि बीमित व्यक्ति मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था जो मृत्यु के मामले में रुपये 1,24,000/- तय किया गया था जबकि घायल के दावे के मामले में रुपये 2,000/- भुगतान करने का निर्देश दिया गया। बीमाकर्ता के गैर-दायित्व के संबंध में दृष्टिकोण की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की हैदराबाद खंड पीठ के समक्ष दायर अपील में फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में अभिनिर्धारित किया कि बीमाकर्ता अवार्ड क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है।

अपील के समर्थन में अपीलार्थी-बीमाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि आवश्यक परमिट के बिना वाहन चलाना पॉलिसी की एक विशिष्ट शर्त का उल्लंघन है और इसलिए, बीमाकर्ता का कोई दायित्व नहीं बनता है। इस ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया कि अधिनियम की धारा 149 बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव से संबंधित है।

परमीट की आवश्यकता के संबंध में अधिनियम की धारा 66 का भी संदर्भ दिया गया। उच्च न्यायालय के मतानुसार चूंकि वाहन बीमा की विषयवस्तु था और पॉलिसी जारी थी, इसलिए बीमाकर्ता के दायित्व का वास्तव में कोई परिणाम नहीं है। बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध प्रतिरक्षा तब है जब पाॅलिसी बनी रहती है और उस पर उच्च न्यायालय का जोर वास्तव में बिन्दू से परे है।

इसके विपरीत, प्रतिवादी-दावेदारों के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि हस्तगत मामले में मृतक के दो छोटे बच्चे अवार्ड के लाभार्थी हैं। मृतक की विधवा पत्नी की भी इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है। एक मामले में मृतक के बूढ़े माता-पिता दावेदार हैं। मामले के इन परिस्थितियाेंं में अवार्ड की छोटी राशि को देखते हुए, यह हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

धारा 149 (2) (ए) (आई) ऐसे वाहन से संबंधित है जो किराए या इनाम के लिए चलने के परमिट के दायरे में नहीं आता है। धारा 149 (2) इस प्रकार है किः

"बीमाकर्ता द्वारा किसी निर्णय या अवार्ड के संबंध में उप-धारा (1) के तहत कोई राशि तब तक देय नहीं होगी जब तक कि उस कार्यवाही के प्रारंभ से पहले, जिसमें अवार्ड का निर्णय दिया जाना है- बीमाकर्ता के पास अदालत के माध्यम से सूचना प्राप्त नहीं हुई हो अथवा जैसा भी मामला हो, दावा अधिकरण के माध्यम से कार्यवाही लाने की सूचना हो, या जब तक ऐसे निर्णय या अवार्ड के संबंध में अपील लंबित रहने तक निष्पादन पर रोक हो और बीमाकर्ता को ऐसी कार्यवाही लाने की सुचना नहीं दी गई हो जिसमें वह निम्नलिखित आधारों में से किसी पर पक्षकार बनाए जाने व कार्यवाही का बचाव करने के लिए हकदार होः नामतः

(ए) निम्नलिखित परिस्थितियों में पोलिसी की निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन हुआ हैः

(i) परिस्थिति जिसे छोडकर वाहन का उपयोग -

(क) किराया या ईनाम के लिए, जहां वाहन बीमा अनुबंध की तारीख को किराया या ईनाम के लिए चलने के लिए परमिट द्वारा कवर नहीं किया गया है, या

(ख) संगठित रेसिंग व गति परीक्षा के लिए, या

(ग) जहां वाहन एक परिवहन वाहन है वहां उस वाहन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है , जिसकी अनुमति परमिट द्वारा नहीं दी गई है। या

(घ) साइड-कार को संलग्न किए बिना जहाँ वाहन एक मोटर साइकिल है; या

(ii) परिस्थिति छोडकर जिसमें ड्राइविंग किसी नामित व्यक्ति या व्यक्तियों या किसी भी व्यक्ति जिसके पास विधिवत लाइसेंस नहीं है द्वारा, या किसी भी व्यक्ति जिसे ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराया गया है द्वारा अयोग्यता की अवधि के दौरान; या

(iii) एक शर्त जिसमें चोट के लिए दायित्व शामिल नहीं है या युद्ध, गृह युद्ध, दंगे या नागरिक हंगामे की स्थितियों का योगदान हो; या

(ख) कि पॉलिसी इस आधार पर शून्य है कि उसे प्राप्त किया गया था। किसी महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा न करके या ऐसे तथ्य के प्रतिनिधित्व द्वारा जो कुछ तात्वीक विशिष्टताआेंं में गलत था।"

अधिनियम की धारा 66 भी प्रासंगिक है। वह इस प्रकार हैः

"66. परमिट की आवश्यकता (1) मोटर वाहन का कोई भी मालिक वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में उपयोग नहीं करेगा या ऐसे उपयोग की अनुमति नहीं देगा, चाहे ऐसा वाहन क्षेत्रीय या राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी अथवा प्रतिहस्ताक्षरित परमीट की शर्तों के अनुसार वास्तव में किसी सवारी

या सामान का परिवहन कर रहा हो या नहीं अथवा किसी निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसे उस स्थान पर वाहन को जिस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, उस तरीके से उपयोग के लिए अधिकृत करता है

बशर्ते कि एक स्टेज कैरिज परमिट, परमिट में निर्दिष्ट की गई किन्हीं शर्तों के अधीन वाहन का अनुबंध गाड़ी के रूप में उपयोग को अधिकृत करती हैं

बशर्ते कि स्टेज कैरिज परमिट, परमिट में निर्दिष्ट किसी भी शर्त के अधीन, यात्रियों को ले जाते समय या नहीं, माल गाड़ी के रूप में वाहन के उपयोग को अधिकृत कर सकता है:

बशर्ते कि माल ढुलाई परमिट, परमिट में निर्दिष्ट किसी भी शर्त के अधीन, धारक को उसके द्वारा किए गए व्यापार या व्यवसाय के लिए या उसके संबंध में माल की ढुलाई के लिए वाहन का उपयोग करने के लिए अधिकृत करेगा।

(2) माल ढुलाई परमिट धारक ऐसी शर्तें जो निर्धारित की जा सकती हैं के अधीन वाहन का उपयोग किसी भी ट्रेलर या सेमी-ट्रेलर, जो उसके स्वामित्व में नहीं है के रूप में कर सकता है।

बशर्ते कि किसी आर्टिकुलेटेड वाहन के परमिट का धारक किसी अन्य सेमी-ट्रेलर के लिए उस आर्टिकुलेटेड वाहन के प्राइम-मूवर का उपयोग कर सकता है।

(3) उपधारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे-

(ए) केंद्र सरकार या एक राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी परिवहन वाहन के लिए और सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किये जाने वाले किसी भी व्यावसायिक उद्यम से असंबद्घ परिवहन वाहन;

(बी) किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व वाले या किसी स्थानीय प्राधिकारी के साथ अनुबंध के तहत काम करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व वाले किसी भी परिवहन

वाहन के लिए एवं जिसका उपयोग केवल सड़क की सफाई, सड़क पर पानी लगाने या संरक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है;

(सी) किसी भी परिवहन वाहन के लिए जिसका उपयोग केवल पुलिस, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस उद्देश्य के लिए किया जाता है।

(डी) किसी भी परिवहन वाहन का उपयोग केवल लाशों और लाशों के साथ आने वाले शोक मनाने वालों के परिवहन के लिए किया जाता है;

(ई) किसी खराब वाहन को खींचने या किसी खराब वाहन से माल को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन के लिए;

(च) इस संबंध में जैसा भी राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन के लिए,

(छ) ऐसे किसी भी परिवहन वाहन के लिए जिसका उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो मोटर वाहनों का निर्माण या व्यापार करता है या चेसिस से जोड़ने के लिए बॉडी बनाता है, केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसी शर्तों के अनुसार जो केंद्र सरकार इस निमित्त आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है;

(ज) मिटाया गया

(i) किसी भी मालवाहक वाहन के लिए, जिसका सकल वाहन भार है 3,000 किलोग्राम से अधिक नहीं है;

(j) ऐसी शर्तों के अधीन जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, एक राज्य में खरीदे गए किसी भी परिवहन वाहन के लिए जो किसी भी यात्री या सामान को ले जाये बिना, उस राज्य में या किसी अन्य राज्य में स्थित किसी स्थान पर जाने के लिए,

(के) किसी भी परिवहन वाहन जो वाहन के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए किसी भी स्थान पर खाली जाते समय जो धारा 43 के तहत अस्थायी रूप से पंजीकृत किया गया है;

(1) मिटाया गया।

(एम) किसी भी परिवहन वाहन को जिसे बाढ़, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा, सड़क पर रुकावट, या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण चाहे राज्य के भीतर या बाहर किसी अन्य मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम करने की दृष्टि से मोड़ना आवश्यक हो।

(एन) ऐसे उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन के लिए जो केंद्र या राज्य सरकार जैसा आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है;

(ओ) किसी भी परिवहन वाहन को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए जो किराया-खरीद, लीज या हाइपोथिकेशन समझौता की विषयवस्तु है और जिस पर मालिक की चूक के कारण उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कब्जा कर लिया गया है जिसके साथ मालिक ने ऐसा समझौता किया है; या

(पी) किसी भी परिवहन वाहन को मरम्मत के उद्देश्य से किसी स्थान पर खाली जाते समय।

(4) उप-धारा (3) व उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन, यदि राज्य सरकार धारा 96 के तहत बनाए गए नियम द्वारा ऐसा निर्धारित करती है, तो किसी भी मोटर वाहन पर लागू होगी जो ड्राइवर को छोडकर नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए अनुकूलित है।"

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आशा रानी व अन्य, [2003] 2 एससीसी 223 में इसे इस प्रकार देखा गया है किः

"हम इस मामले पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं। 1988 अधिनियम की धारा 149 (2) बीमाकर्ताओं को दावेदारों के दावे के खिलाफ बचाव करने में सक्षम बनाती है। अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (2) के खंड (सी) के संदर्भ में बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचावों में से एक यह है कि विचाराधीन वाहन का उपयोग किसी ऐसे उद्देश्य के लिए किया गया है जो उस परमिट द्वारा अनुमत नहीं है जिसके तहत वाहन का उपयोग किया गया था। इस अदालत द्वारा सतपाल सिंह के मामले में दिये गये निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध ऐसे वैधानिक बचाव को समाप्त कर दिया जाएगा। [2000] 1 एससीसी 237।"

इसी तरह, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ बनाम निकोलेटा रोहतगी व अन्य.. [2002] 7 एससीसी 456 में, अधिनियम की धारा 149 (2) के दायरे को विस्तारपूर्वक बताया गया है। अन्य जाे कि इस प्रकार है:

"प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यह पता लगाना आवश्यक है कि बीमाकर्ता मोटर वाहन दुर्घटना के किसी घायल या पीड़ितों के आश्रितों के दावे के खिलाफ किस आधार पर बचाव/प्रतिवाद करने का हकदार है। 1939 अधिनियम की धारा 96(2) जो 1988 अधिनियम की धारा 149(2) के अनुरूप है, के तहत एक बीमा कंपनी को घायल व्यक्ति या मृतक के आश्रितों द्वारा बीमाधारक के खिलाफ की गई कार्रवाई में पक्ष बनने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, उक्त प्रावधान बीमाकर्ता को मामले में एक पक्ष बनाये जाने और उसका बचाव करने का अधिकार देता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उक्त अधिकार क़ानून का अंश है और इसकी सामग्री क़ानून के प्रावधानों पर निर्भर करती है। किसी मामले या दावे में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाये जाने के बाद सवाल उठता है कि कानून के तहत उसके लिए क्या बचाव उपलब्ध हैं? धारा 149 की उपधारा

(2) को अधिनियमित करने में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट एवं सरल प्रतीत होती है तथा इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। यह दर्शित करती है कि जब किसी बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाता है और उसे मामले का नोटिस दिया जाता है, तो वह 1988 अधिनियम की उप-धारा, अर्थात् धारा 149 की उप-धारा (2) में उल्लिखित आधारों पर कार्रवाई का बचाव करने का हकदार है, और उसके लिए कोई अन्य आधार उपलब्ध नहीं है। बीमाकर्ता को किसी अन्य आधार पर घायल या मृतक के उत्तराधिकारियों के दावे का विरोध करने की अनुमति नहीं है जो बीमाधारक के लिए उपलब्ध है या पॉलिसी की किसी भी अन्य शर्तों जो 1988 अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा- (2) में जगह नहीं पाती है का उल्लंघन है। यदि किसी बीमाकर्ता को अन्य आधारों पर दावे का विरोध करने की अनुमति दी जाती है, तो इसका मतलब बीमाकर्ता के लिए कानून में विशेष रूप से प्रदान किए गए आधारों के मुकाबले अधिक आधार जोड़ना होगा।

1988 के अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (7) स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि धारा 149 की उपधारा (2) की व्याख्या किस प्रकार की जानी है। धारा 149 की उपधारा (7) में प्रावधान है कि कोई भी बीमाकर्ता जिसे उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट नोटिस दिया गया है, वह ऐसे किसी भी निर्णय या पुरस्कार का, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है या ऐसे निर्णय का, जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है, उपधारा (2) या तदनुरूप में या पारस्परिक देश का कानून, जैसा भी मामला हो दिए गए तरीके से भिन्न है द्वारा लाभ के हकदार किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से बचने का हकदार नहीं होगा। धारा 149 की उपधारा (7) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "तरीका" बहुत प्रासंगिक है जिसका अर्थ है कि एक बीमाकर्ता धारा 149 की उपधारा (2) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही अपने दायित्व से बच सकता है। यह इसलिए दर्शाता है कि बीमाकर्ता केवल 1988 अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (2) में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई वैधानिक सुरक्षा पर अपने दायित्व से बच सकता है। इसलिए, हमारा

विचार है कि एक बीमाकर्ता 1988 अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (2) में उल्लिखित आधारों को छोड़कर किसी अन्य आधार पर अपने दायित्व से बच नहीं सकता है।"

जैसा कि उक्त मामले में देखा गया था, दावे का विरोध करने के लिए बीमाकर्ता को जो वैधानिक बचाव उपलब्ध हैं, वे धारा 149 की उप-धारा (2) में प्रदान किए गए बचावों तक ही सीमित हैं।

उच्च न्यायालय का विचार था कि चूँकि कोई परमिट नहीं था, इसलिए उसकी किसी भी शर्त के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से भ्रामक है। वाहन चलाने के परमिट के बिना किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की तुलना में बेहतर स्थान पर नहीं रखा जा सकता जिसके पास परमिट है, लेकिन उसने इसकी किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है। बिना परमिट के वाहन चलाना उल्लंघन है। इसलिए, धारा 149(2) के संदर्भ में बीमाकर्ता को उस पहलू पर बचाव उपलब्ध है। रुख की स्वीकार्यता निर्णय का विषय है। बीमाकर्ता की देनदारी से संबंधित मुद्दे के लिए पॉलिसी के संचालन के प्रश्न की कोई प्रासंगिकता नहीं थी। इसलिए, बीमाकर्ता को उत्तरदायी ठहराना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था।

शेष प्रश्न यह है कि उचित दिशा क्या होगी। अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ता के लिए अवार्ड को संतुष्ट करना उचित होगा, हालांकि कानून में इसका कोई दायित्व नहीं है। कुछ मामलों में बीमाकर्ता को बीमाधारक से राशि वसूलने का विकल्प और स्वतंत्रता दी गई है। मालिक से भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए बीमाकर्ता को मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू कर सकता है जैसे कि बीमाकर्ता और मालिक के बीच विवाद अधिकरण के समक्ष निर्धारण का विषय था और मुद्दा

मालिक के खिलाफ और बीमाकर्ता के पक्ष में तय किया गया है। दावेदारों को राशि जारी करने से पहले, उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक उस पूरी राशि के लिए प्रतिभूति प्रदान करेगा जो बीमाकर्ता दावेदारों को भुगतान करेगा। सुरक्षा के एक भाग के रूप में, उल्लंघन करने वाले वाहन को कुर्क किया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़े तो निष्पादन न्यायालय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी की सहायता लेगा। निष्पादन न्यायालय कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा कि वाहन का मालिक बीमाकर्ता को किस प्रकार भुगतान करेगा। यदि इसमें कोई चूक होती है, तो यह निष्पादन न्यायालय के लिए खुला होगा कि वह वाहन मालिक अर्थात बीमित द्वारा दी गई प्रतिभूतियों के निपटान या वाहन मालिक की किसी अन्य संपत्ति या संपत्तियों से वसूली का निर्देश दे। मौजूदा मामले में शामिल मात्रा पर विचार करते हुए हम इसे बीमाकर्ता के विवेक पर छोड़ते हैं कि वह बीमाधारक से राशि की वसूली के लिए कदम उठाएगा या नहीं।

उपरोक्त विवेचना के साथ अपीलों का निस्तारण किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

वी.एस.एस.

अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंकित दवे (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।